न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2025, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. दीनदयाल पुत्र श्री भगवानसहाय जाति ब्राह्मण निवासी अमोलक नगर(पाली) तहसील महवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र श्री भगवानसहाय
2. रामअवतार पुत्र श्री भगवानसहाय
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी अमोलक नगर(पाली) तहसील महवा जिला दौसा।
3. राज. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू अभिलेख तहसील महवा जिला दौसा।
4. उप पंजीयक महवा जिला दौसा।
5. श्रीमती मनीषा मीना उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी महवा पीठासीन अधिकारी मनीषा मीना आर ए एस प्रकरण उनवानी दीनदयाल बनाम घनश्याम आदि दावा मु. नं. 19/25 व टी. आई संख्या 16/25

उपस्थितिः श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री उमेश कुमार गौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः— 11.06.2025

संक्षिप्त में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी महवा के समक्ष एक वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी दीनदयाल बनाम घनश्याम विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 17.03.2025 प्रतिवादीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तलवी हेतु नियत थी। जिस पर प्रतिवादीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 न्यायालय में उपस्थित आये और पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे रहे और बाहर निकल कर वादी प्रार्थी को कहा कि दिनांक 17.02.2025 को तुम्हारे पक्ष में दिये गये स्टे को अभी तुरन्त खारिज करवाकर उक्त भूमि का दीगर व्यक्ति को रहन बय हस्तान्तरण कर देंगे। उक्त तारीख पेशी दिनांक 17.03.2025 की आदेशिका शाम 05 बजे तक भी नहीं लिखी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा वादी प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को लाभ पहुंचाने की गरज से दिनांक 17.03.2025 की आदेशिका नहीं लिखी गई एवं उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 19.03.2025 नियत कर दी गई। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर दिनांक 17.02.2025 के स्थगन आदेश को [illegible] करने पर आमादा है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:30 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। उपखण्ड अधिकारी महवा से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश कुमार गौड उपस्थित आये। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी महवा में विचारधीन प्रकरण में गत तारीख पेशी 17.03.2025 नियत थी लेकिन पीठासीन अधिकारी के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से साज करने के कारण दिनांक 17.03.2025 की आदेशिका शाम 5 बजे तक भी नहीं लिखी गई जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये वाद पत्र एवं टी.आई. की मय सम्पूर्ण ऑर्डरशीट की नकल लेने के लिये आवेदन किया तो केवल मात्र दिनांक 17.02.2025 तक की ही ऑर्डरशीट पत्रावली पर लिखी गई है। पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को लाभ पहुंचाने की गरज से दिनांक 17.03.2025 की ऑर्डरशीट शाम 5 बजे तक भी पत्रावली पर नहीं लिखी गई है और उक्त प्रकरण में सुनवाई हेुत दिनांक 19.03.2025 की तारीख बता दी गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर दिनांक 17.02.2025 के स्थगन आदेश को वैकेट करने पर आमादा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। जब पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रहे तो प्रकरण की सुनवाई वहां किया जाना कतई आवश्यक एवं न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे। ा

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी महवा में दावा प्रस्तुत किया जाकर दिनांक 17.02.2025 को स्वयं के पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी पक्षकार से मिलीभगत कर प्रार्थीगण को दिये गये स्टे को खारिज किये जाने वाले आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में जारी सुनवाई को रोकने एवं प्रकरण को लम्बित करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी महवा से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी के अनुसार प्रकरण गत तारीख पेशी 25.04.2025 नियत थी। न्यायालय में किसी पक्षकार से मिलकर प्रार्थी को दिये गये स्टे को खारिज करने वाली बात गलत है। न्यायालय में पक्षकारो के हको के मध्यनजर ही प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार, मिथ्यापूर्ण व गलत है। उक्त उनवानी प्रकरण दीनदयाल बनाम घनश्याम में गत तारीख पेशी 17.02.2025 थी और प्रार्थी द्वारा नकल का आवेदन दिनांक 17.03.2025 को न्यायालय में सुनवाई के समय से पूर्व में प्रस्तुत किया गया था और प्रार्थी को नकल दिनांक 17.03.2025 को न्यायालय समय से पूर्व ही दे दी गई थी। न्यायालय सुनवाई के समय के बाद उसी दिन ही सायं 5 बजे के बाद पत्रावली की आदेशिका लिखी गई थी। किसी पक्षकार से मिलने वाली बात गलत है। अप्रार्थी से इस न्यायालय से कोई व्यक्तिशः सरोकार होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। न्यायालय में सभी पत्रावलियों की ऑर्डरशीट न्यायालय सुनवाई के समय के बाद नियमित रूप से उसी दिन लिखी जाती है। न्यायालय में विधिक प्रक्रिया के अनुसार दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय दिया जाता है। प्रार्थी यदि प्रश्नगत प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:30 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी महवा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद उनवानी दीनदयाल बनाम घनश्याम वगैरा दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा में एकपक्षीय सुनवाई की जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया हुआ है तथा पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत की गई है। उपखण्ड अधिकारी महवा से प्राप्त टिप्पणी में न्यायालय में विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही निर्णय किया जाना व्यक्त किया गया है। उप जिला कलक्टर महवा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किये जाने के उपरान्त अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जाना ही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी महवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:30 IST
Reason: SelfAttested